>

Title: Need to permit cutting of dry bamboos in forests of Bharuch and Narmada districts of Gujarat.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के भरूच जिले और नर्मदा जिले में अधिकांश रूप से जंगल है और यहां बांस की पैदावार काफी संख्या में होती है और यह बांस झुंड के झुंड में खड़े रहते हैं। जब यह पकने लगते हैं तो उसमें एक फूल आता है उसके बाद यह सूखने लगते हैं। परंतु वन कानूनों की वजह से सूखने के बावजूद इन बांसों की कटाई नहीं हो पाती है। इन सूखे बांस के झुंडों में आग बड़ी तेजी के साथ पकड़ती है। असामाजिक तत्वों द्वारा इन सूखे बांसों में आग लगाने की संभावना बनी रहती है। कई बार जंगलों में जो आग लगती है उसका महत्वपूर्ण कारण इन सूखे बांसों में आग लगना होता है जिससे एक तो वन सम्पदा का नुकसान होता है और दूसरी ओर जंगल की हरी भरी वनस्पति को भी नुकसान पहुँचता है। इस प्रकार की जंगलों में आग लगने से जानवरों एवं लोगों के घरों को नुकसान पहुँचने का खतरा भी बना रहता है। बांसों को फूल लगने के बाद तुंत काट लेना चाहिए जिससे ये सूखने पर आग का कारण न बन सकें। इससे उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति एवं वन क्षेत्र में नई वनस्पति को पैदा करने के अवसर मिलेंगे।

सरकार से अनुरोध है कि वन कानूनों में इस तरह से परिवर्तन किया जाए कि बांसों में फूल आने के बाद इसको काटने की अनुमति स्वतः मिल जाए जिससे वन सम्पदा का हम राष्ट्रहित में उपयोग कर सके और राजस्व की प्राप्ति कर सके।